I. L. R. Punjab and Haryana (1974)1

लेटर्स पेटेंट अपील

न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित और गोपाल सिंह के समक्ष

प्रशासक, नगर पालिका, यमुनानगर, जिला अंबाला, - *अपीलकर्ता।*

बनाम

सरस्वती इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड, - उत्तरदाता।

1970 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 783

2 सितंबर, 1971

*पंजाब नगरपालिका अधिनियम (*1911 का III) - *धारा* 85 - *गृह-कर की वसूली के खिलाफ अपील - लागू कर उसके साथ जमा नहीं किया गया - ऐसी अपील - क्या विचार योग्य है।*

यह माना गया कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 85 की उप-धारा (2) की भाषा स्पष्ट है और किसी अन्य व्याख्या के लिए सक्षम नहीं है, सिवाय इसके कि धारा 85 की उप-धारा (1) के तहत दायर अपील पर विचार किया जाएगा, लेकिन यह केवल एक आकस्मिकता में है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, अर्थात, यदि अपीलकर्ता किसी अन्य के संबंध में बकाया है। अपील दायर करने की तारीख पर समिति को उनकी ओर से नगरपालिका फैक्स देय है। "नगरपालिका करों" से पहले "अन्य" शब्द का उपयोग महत्वपूर्ण है। यदि विधायिका का विचार यह था कि लागू कर को अन्य नगरपालिका करों के साथ भी जमा किया जाना था, तो उप-धारा की भाषा अलग होती। इसलिए गृह-कर

लगाने के खिलाफ अपील विचार योग्य है यदि अपीलकर्ता ने ऐसी अपील की तारीख तक समिति को उससे देय अन्य सभी नगरपालिका करों का भुगतान कर दिया है और उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इसके साथ आक्षेपित कर भी जमा करे। (पैरा 8)

माननीय न् यायमूर्ति एच एच द्वारा पारित 22 सितम् बर, *1970 के निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड* 10 *के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील* एच आर *सोढ़ी, सिविल रिट हो में* 1970 का 2549

अपीलकर्ता की ओर *से रूप चंद, एडवोकेट।*

एस. के. जैन, प्रतिवादी *संख्या 1 के लिए।*

निर्णय

न्यायमूर्ति पंडित - (1) नगर समिति, यमुनानगर, जिला अंबाला में गृह-कर लगाने के लिए मूल्यांकन सूची तैयार की गई थी। सरस्वती इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड, यमुनानगर को आपत्तियों का निपटारा करने के बाद अंततः 11,250.31 रुपये का कर दिया गया। सिंडिकेट द्वारा इस मूल्यांकन के खिलाफ पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 84 के तहत उपायुक्त, अंबाला के समक्ष अपील दायर की गई थी, जिसे बाद में अधिनियम कहा जाता है। जब अपील दायर की गई थी, तो माना जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए कर का भुगतान नहीं किया गया था।

(2) नगर पालिका के प्रशासक की ओर से उपायुक्त के समक्ष इस आशय

की प्रारंभिक आपत्ति की गई थी कि अपील सक्षम नहीं थी क्योंकि अपीलकर्ता ने अपील के साथ आक्षेपित कर जमा नहीं किया था। अधिनियम की धारा 85 (2) के तहत, अपील दायर करने से पहले ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य था।

(3) यह प्रारंभिक आपत्ति उपायुक्त के पास प्रबल हुई और उन्होंने अपील को अक्षम बताते हुए खारिज कर दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने गुण-दोष के आधार पर अपील पर फैसला नहीं किया।

(4) इस निर्णय को सिंडिकेट द्वारा इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। उक्त याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया था कि उपायुक्त ने अधिनियम की धारा 85 (2) के प्रावधानों की सही व्याख्या नहीं की थी और अपीलकर्ता के लिए अपील के साथ आक्षेपित कर जमा करना आवश्यक नहीं था। विद्वान न्यायाधीश के इस निर्णय को नगरपालिका समिति के प्रशासक की ओर से दायर इस लेटर्स पेटेंट अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है।

(5) निर्णय के लिए उठने वाला एकमात्र प्रश्न अधिनियम की धारा 85 (2) की व्याख्या के बारे में है।

धारा 85 में लिखा है:

> "85. (1) किसी भी भूमि या भवन पर कर के संबंध में कोई अपील तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि धारा 66 या धारा 68 द्वारा निर्धारित नोटिस के प्रकाशन के एक महीने के भीतर या धारा 69 के तहत किसी अंतिम आदेश की तारीख के बाद, जैसा भी मामला हो, इसे प्राथमिकता नहीं दी जाती है, और किसी अन्य कर के संबंध में कोई

अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि इसे मांग के एक महीने के भीतर प्राथमिकता न दी जाए। कर बनाया जाता है:

बशर्ते कि इस धारा द्वारा उसके लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील स्वीकार की जा सकती है-

यदि अपीलकर्ता उस अधिकारी को संतुष्ट करता है जिसके समक्ष अपील को प्राथमिकता दी जाती है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील पेश नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(2) किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता ने ऐसी अपील की तारीख तक समिति को देय अन्य सभी नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया है।

(6) धारा 85 (1) में, अपील दायर करने की सीमा का उल्लेख किया गया है। हालांकि, हम उप-धारा (2) से चिंतित हैं, क्योंकि यह किसी का मामला नहीं है कि सिंडिकेट द्वारा अपील सीमा के भीतर दायर नहीं की गई थी।

(7) अपीलीय वकील द्वारा उठाए गए तर्क में कहा गया है कि उप-धारा (2) के अनुसार, किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रतिवादी ने लागू कर सहित अपील दायर करने की तारीख तक समिति को अन्य सभी नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया हो। दूसरी ओर, सिंडिकेट का तर्क यह है कि इस उप-धारा के अनुसार अपील पर विचार किया जाएगा यदि अपीलकर्ता ने अन्य सभी नगरपालिका करों का भुगतान *किया है और अपील दायर करने की तारीख तक समिति को उससे कोई अन्य*

नगरपालिका कर देय नहीं है और यह आवश्यक नहीं है कि अपील की संस्था के साथ लागू कर भी जमा किया जाना चाहिए।

(8) मेरे विचार से, उप-धारा (2) की भाषा स्पष्ट है और इसके अलावा किसी अन्य व्याख्या के लिए सक्षम नहीं है कि धारा 85 की उप-धारा (1) के तहत दायर अपील पर विचार किया जाएगा, लेकिन यह केवल एक आकस्मिकता में है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, अर्थात, यदि अपीलकर्ता किसी अन्य नगरपालिका कर के संबंध में बकाया है। मोहक गुण। '' शब्द का प्रयोग। नगरपालिका करों से पहले "अन्य" महत्वपूर्ण है। यदि विधायिका का विचार यह था कि लागू कर को अन्य नगरपालिका करों के साथ भी जमा किया जाना था, तो उप-धारा की भाषा थोड़ी अलग होती। उदाहरण के लिए, यह कहा जाता है कि "जब तक अपीलकर्ता ने ऐसी अपील की तारीख तक समिति को अन्य सभी नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया है"; या "जब तक कि अपीलकर्ता ने ऐसी अपील की तारीख तक समिति को *उसके द्वारा देय विवाद सहित* अन्य सभी नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया है "; लेकिन इस उप-खंड में ये शब्द गायब हैं। अपील पर विचार किया जाएगा यदि अपीलकर्ता ने ऐसी अपील की तारीख तक समिति को देय अन्य सभी नगरपालिका करों का भुगतान कर दिया है। यह सामान्य आधार है कि समिति अधिनियम की धारा 61 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के करों को लगाने के लिए अधिकृत है और विधायिका इस बात की इच्छुक प्रतीत होती है कि अपीलकर्ता को कम से कम अन्य सभी करों का भुगतान करना चाहिए था जो विवाद में एक को छोड़कर उससे वसूली योग्य हैं। चूंकि लागू कर को पहले से ही चुनौती दी जा रही है, इसलिए, विधायिका ने अच्छी तरह से सोचा होगा कि अपीलकर्ता के लिए इसे जमा करना आवश्यक नहीं था।

यदि, बाद में, अपील खारिज कर दी जाती है, तो उसे इसका भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। इसलिए, मेरी राय है कि उप-धारा (2) के प्रावधानों को पढ़ने पर, अपीलकर्ता अपील के साथ विवाद में कर जमा करने के लिए बाध्य नहीं था। ऐसा होने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय, मैं कानून के अनुसार, सम्मान के साथ कहता हूं।

(9) यह किसी के मामले में नहीं है कि अपील दायर करने की तारीख को सिंडिकेट से कोई अन्य नगरपालिका कर देय था। इसलिए, उनकी अपील पर विद्वान उपायुक्त द्वारा कानून के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए था और इस आधार पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए था कि अपील के साथ लागू कर का भुगतान नहीं किया गया था।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मामले से निपटते हुए कहा है:

> "उपधारा (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी कर को लगाने के खिलाफ अपील पर तब तक विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि अपील दायर करने तक अपील की विषय वस्तु के अलावा कुछ अन्य कर का भुगतान नहीं किया जाता है। इस प्रकार लागू कर की जमा राशि अपील की संस्था के लिए एक शर्त मिसाल नहीं है और यह केवल तभी होता है जब अपीलकर्ता नगरपालिका समिति को देय अन्य करों के संबंध में चूककर्ता होता है कि उसे कर के लिए एक नई देयता को चुनौती देने के लिए अधिनियम के तहत अनुमति नहीं दी जाती है। **एक** नगरपालिका समिति द्वारा कराधान की शक्ति विभिन्न विषयों तक फैली हुई है, जिसमें भूमि,

भवन, जानवर, वाहन, व्यवसाय या कॉलिंग और कई अन्य मामले शामिल हैं। अधिनियम की योजना यह प्रतीत होती है कि नगर पालिका के निवासी जिसे कई करों का भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन उनमें से सभी या किसी के भुगतान में चूक करता है, उसे नए कर के खिलाफ अपील का निरंकुश अधिकार नहीं दिया जाएगा, जब वह पहले से ही करों के मामले में चूककर्ता है। उप-धारा (2) में "नगरपालिका कर" अभिव्यक्ति से पहले "अन्य" शब्द का उपयोग बिना किसी अर्थ के नहीं है। यह स्पष्ट रूप से मूल्यांकन किए गए कर के विपरीत उपयोग किया गया है। यदि विधायिका का इरादा था कि मूल्यांकन किए गए कर की राशि जमा की जानी चाहिए थी, तो उसने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा होगा जैसा कि हम कई अन्य विधियों में पाते हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 20 के परंतुक में, यह अधिनियमित किया गया है कि "ऐसे प्राधिकरण द्वारा किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि डीलर पर लगाए गए कर की राशि और जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान किया गया है"। अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (2) में नियोजित अलग-अलग भाषा एक उद्देश्य के बिना नहीं हो सकती है जो प्रतीत होता है कि नगरपालिका बकाया नगरपालिका के निवासी के हाथों में जमा नहीं होना चाहिए और वह किसी भी नए या नए कर के खिलाफ अपील के माध्यम से अपना उपाय मांग सकता है, बिना किसी पूर्व शर्त के। यदि वह चूककर्ता नहीं है। मेरे विचार से, यह एकमात्र व्याख्या है जो

सुसंगत है। यह वित्तीय निहितार्थ से निपटने वाला एक राजकोषीय मामला है और नागरिक के लिए फायदेमंद व्याख्या को हमेशा रखा जाना चाहिए, खासकर जब यह उपयोग किए गए शब्दों के सामान्य अर्थ के अनुरूप हो।"

मैं विद्वान न्यायाधीश द्वारा किए गए उप-धारा (2) के प्रावधानों के विश्लेषण के साथ सम्मानजनक सहमति में हूं।

(10) इसका परिणाम यह होता है कि यह अपील विफल हो जाती है और इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। इस मामले की परिस्थितियों में, हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

न्यायमूर्ति गोपाल सिंह —मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)
करनाल , हरियाणा